बिहार सरकार
उद्योग विभाग
खा0प्र0 निदेशालय

कार्यालय आदेश

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण योजनाएं संचालित की जा रही है जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। चार प्रोजेक्ट मैजमेंट एजेन्सियों की नियुक्ति के बाद निवेशकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निवेशकों को सही समय पर योजना का लाभ प्राप्त कराने के उदेश्य से कार्य प्रणाली में तेजी लाने की आवश्यकता महसुस की जा रही है। अनुदान विमुक्ति के पूर्व संयुक्त जाँच की प्रक्रिया में कुछ परिर्वतन की आवश्यकता है। जिलों के प्रभारी पदाधिकारियों के मुख्यालय में अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण भी ससमय जाँच कार्य पुरा नही हो पाता है तथा अनुदान विमुक्ति की कार्रवाई बिलंबित हो जाती है। विभिन्न उद्योग संघो द्वारा भी समय–समय पर जाँच प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन का अनुरोध किया जाता रहा है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त जाँच की प्रक्रिया में निम्नांकित संशोधन किये जाते है ।

(1) सभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी निवेशकों से आवश्यक सभी कागजात प्राप्त करने के बाद ही संयुक्त जाँच का अनुरोध पत्र निदेशालय में देंगे।

(2) अनुदान विमुक्ति में विभिन्न चरणों के लिए पदाधिकारी दल का गठन निम्न रूपेण किया जाता है :–

(1)**प्रथम एवं द्वितीय किस्त** :– प्रथम एवं द्वितीय किस्त के अनुदान की विमुक्ति के लिए निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण द्वारा नामित उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी एवं PMA द्वारा संयुक्त रूप से जाँच कर एक सप्ताह के अंदर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2)तृतीय किस्त :– तृतीय किस्त की विमुक्ति के लिए जाँच संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक जिनका ग्रेड पे 7600/– रूपये हो अथवा निदेशक, खाद्य प्रसंसकरण द्वारा नामित उप निदेशक स्तर के पदाधिकारी एवं PMA द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी तथा जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर दाखिल करना होगा।

(3)चतुर्थ एवं अंतिम किस्त की विमुक्ति के पूर्व संबंधित उप निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण एवं पी0एम0ए0 परियोजना का विस्तृत संयुक्त जाँच प्रतिवेदन EM-II के साथ समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर राशि की विमुक्ति होगी।

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के स्थल निरीक्षण के दौरान जाँच पदाधिकारी अपने जाँच प्रतिवेंदन में निम्न बातों का उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे :–

(क) जाँच पदाधिकारी स्वयं का मंतव्य अंकित करेंगे।

(ख) परियोजना से स्थानीय व्यक्तियों को कोई तकलीफ तो नहीं है?

(ग) परियोजना से उस क्षेत्र पर कोइ प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पर रहा है?

यह आदेश तात्कालिक रूप से लागू होगा तथा पत्रांक 495 दिनांक 12.7.2013 द्वारा निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित माना जाएगा।

प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :– 647 पटना, दिनांक– 16.07.2014

प्रतिलिपिः– सभी जिलों के प्रभारी पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र/आई0एल0एण्ड एफ0एस0, सी0डी0 आई0 बोरिंग केनाल रोड पटना/दाराशॉ एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0 एवं सुमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट (प्रा0) लि0, एस0एन0 मेहरा पैलेस बोरिंग रोड, श्रेयी फंटियर बंदर बगीचा पटना, एस्पा कैपिटल बुर्द्ध मार्ग पटना/प्रबंधक आई0टी0 उद्योग विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

16/7
निदेशक (खा0प्र0)
उद्योग विभाग, बिहार, पटना